10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

178

(1) निगरानी 780-I-15

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल - ग्वालियर कैम्प महोदय, जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण कं. /2014–15

आवेदिकागण : 1. राजकुमारी बाई उम्र लगभग 45 वर्ष, पति श्री रामदास साहू,

2. श्रीमति मूलाबाई विधवा उम्र लगभग 70 वर्ष, पति श्री पलटूराम ।

3. रामविशाल आत्मज स्व. श्री मोहनलाल साहू उम्र लगभग 70 वर्ष,

सभी निवासी–ग्राम कुडंम तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर कैम्प पर प्राप्त 18/3/15

बनाम

अनावेदिकागण : 1. पंखी बाई बेवा कोमल प्रसाद
2. संतोष कुमार
3. प्रमोद कुमार
4. विनोद कुमार
5. कददोबाई
6. शिवकुमारी
7. सुशीलाबाई

सभी के पिता स्व. श्री कोमल प्रसाद
सभी निवासी–ग्राम कुडंम तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.)

8-4-15

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता वास्ते एकपक्षीय सीमांकन निरस्त कर पुनः कराये जाने बावत्

यह पुनरीक्षण माननीय तहसीलदार कुडंम के न्यायालय के रा.प्र.कं. अ–12/2014–15 में पेश एकपक्षीय सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक निंरक पंचनामा दिनांक 10.02.15 से क्षुब्ध होकर पेश की जा रही है।

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण पेश कर विनय करते है कि:–

OATHS COMMISSIONER FOR THE HIGH COURT JABALPUR Smt. ... 3/3/15

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-780-एक/15 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. कुंडम जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **अनुविभागीय अधिकारी कुंडम**	